राजस्व अपील संख्या 163 / 2021
अनवान
कानाराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जैतारण

दिनांक 10–5–2022

पत्रावली आज पेश हुई । रेस्पो0 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री नवल सिह दहिया उपस्थित । उक्त अपील के सुनवाई क्षेत्राधिकार परिवर्तन हो जाने के कारण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली से न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर मे सुनवाई हेतु प्राप्त हुई तथा अपीलो मे सुनवाई हेतु आवंटित जिलो के अनुसार उक्त अपील पाली जिले की होने से इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 26–3–2021 को दर्ज रजिस्टर की गई ।

अपीलांट की ओर से इस न्यायालय हाजा मे कोई अधिवक्ता उपस्थित नही होने पर इस न्यायालय हाजा से न्यायहित मे अपीलांट के नाम दिनांक 4–8–2021 को एक रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जाने के पश्चात भी लगभग 9 माह व्यतित हो चुके है परंतु अपीलांट की ओर से न्यायालय मे किसी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालातनामा प्रस्तुत नही किया है और न ही अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित ही हो रहे है । ऐसे मे अपीलांट की उक्त अपील को आगे चलाना न्यायसंगत नही होने से अपीलांट की उक्त अपील अंदम हाजरी मे खारीज की जाती है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जाये । निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया ।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर